<u>उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन–2025</u>
<u>विशेष संवाहक/ ईमेल/</u>
<u>स्पीड पोस्ट द्वारा</u>

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD. NEW DELHI-110001

संख्या 481/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./वी.पी.ई.-द्विवार्षिक/2025 तारीखः 04 अगस्त, 2025

सेवा में

उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन के लिए रिटर्निंग आफिसर एवं
महासचिव, राज्यसभा,
राज्य सभा सचिवालय,
संसद भवन, नई दिल्ली

विषय:- उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 - सार्वजनिक सूचना के बारे मे निदेश।

महोदय,

मुझे राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम,1974 के नियम 3 के अधीन जारी आयोग के निदेश दिनांक 04 अगस्त,2025 की एक प्रति आपकी सूचना और आवश्यक कारवाई के लिए इसके साथ संलग्न करने का निदेश हुआ है।

2. राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के साथ संलग्न प्रारूप 1 में सार्वजनिक सूचना, राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन अधिनियम, 1952 की धारा 4 के अधीन, आयोग द्वारा निर्वाचन कार्यक्रम की अधिसूचना जारी होने की तारीख अर्थात् 07 अगस्त, 2025 को प्रकाशित और प्रचारित की जाएगी।

3. कृपया पावती दें।

भवदीया,

सुमन कुमार दास

(सुमन कुमार दास)
सचिव

संख्या 481/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./वी.पी.ई.-द्विवार्षिक/2025 तारीखः 04 अगस्त, 2025

पूर्व पृष्ठ पर संदर्भित निदेश की प्रति के साथ प्रतिलिपि सूचनार्थ अग्रेषित:

1. श्रीमती गरिमा जैन, सहायक रिटर्निंग आफिसर-सह- संयुक्त सचिव, राज्यसभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
2. श्री विजय कुमार, सहायक रिटर्निंग आफिसर-सह- निदेशक, राज्यसभा सचिवालय, संसद भवन, नई दिल्ली।
3. सचिव, भारत सरकार, विधि एवं न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
4. सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिव।
5. सभी राज्यों और संघ-राज्य क्षेत्रों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी।

सुमन कुमार दास

(सुमन कुमार दास)
सचिव

भारत निर्वाचन आयोग
Election Commission of India

निर्वाचन सदन
NIRVACHAN SADAN
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001
ASHOKA ROAD. NEW DELHI-110001

संख्या 481/ईसीआई/पत्र/प्रकार्या./वी.पी.ई.-द्विवार्षिक/2025 तारीखः 04 अगस्त, 2025

निदेश

विषयः-उप-राष्ट्रपतीय निर्वाचन, 2025 - आशयित निर्वाचन की सार्वजनिक सूचना - राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 3 के अधीन प्रकाशन।

राष्ट्रपतीय और उपराष्ट्रपतीय निर्वाचन नियम, 1974 के नियम 3 के अनुसरण में, भारत निर्वाचन आयोग, एतद्द्वारा, रिटर्निंग आफिसर को यह निदेश देता है कि उन नियमों से संलग्न प्रारूप 1 में आशयित निर्वाचन की सार्वजनिक सूचनाः-

(क) भारत के राजपत्र में हिन्दी और अंग्रेजी भाषाओं में प्रकाशित की जाएगी;

(ख) प्रत्येक राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र के आधिकारिक राजपत्र में उस भाषा या उन भाषाओं में पुनः प्रकाशित की जाएगी जिसमें/जिनमें राज्य सरकार प्रशासन द्वारा जारी सांविधिक अधिसूचनाएं ऐसे राजपत्रों में प्रकाशित की जाती हैं; और

(ग) रेडियो और दूरदर्शन से प्रचार-प्रसार किया जाएगा, नई दिल्ली में, राज्य की राजधानियों में और दूसरे स्थानों में (यदि कोई है) स्थित आकाशवाणी/दूरदर्शन के केन्द्रों से और अन्य स्थानों (यदि कोई हो) के जरिए पूरे देश में और अन्य आधिकारिक मीडिया के जरिए घोषणाएं की जाएंगी।

2. यह सार्वजनिक सूचना की एक प्रति रिटर्निंग आफिसर और सहायक रिटर्निंग आफिसर के कार्यालयों में किसी सहज-दृश्य स्थानों पर चिपका कर भी प्रकाशित की जाए।

आदेश से,

सुमन कुमार दास

(सुमन कुमार दास)
सचिव